

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

नेपालसिंह पुत्र स्व. खमाराम जाति भाकर उम्र 77 वर्ष निवासी सिरसली तहसील व जिला चूरु राज.

-वादी-

बनाम

- छतुसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति राजपूत उम्र 72 वर्ष निवासी गांव दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु राज.
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु
- पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु जरिये शाखा प्रबंधक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड़, चूरु

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट
मुकदमा नं. 161 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री धन्नाराम सैनी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब हुक्म दिया जाता है वा डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि ख.नं. 612/272 का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	रकबा है.	शकस्म
1.	नेपालसिंह पुत्र खमाराम हि. पूर्ण जाति जाट निवासी सिरसली खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा चूरु	612/272मि.	1.2646	बारानी
		किता-1	1.2646	बारानी
2.	छतुसिंह पुत्र अर्जनसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत नि. दुधवाखारा खातेदार रहन पी.एन.बी. शाखा दुधवाखारा	612/272मि.	1.5050	बारानी
		किता-1	1.5050	बारानी

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को उपरोक्तानुसार एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.03.2024 के संलग्न नक्शानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10 माह सितम्बर सन् 2024 को जारी की गई।


(बिजेन्द्रसिंह)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

उपखण्ड अधिकारी, चूरु